

कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(2)/ नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2017/ 3225

दिनांक:- 15/12/17

:-कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 10/2017 वीं बैठक दिनांक 15.12.2017 को प्रातः 09:30 बजे माननीय अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	01	राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 121 के रकबा 28 बीघा में से 09.19.19 बीघा का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :-श्रीमती पानकी उर्फ पानीदेवी पत्नि श्री डुंगरराम। (जोन पूर्व)	प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संबंध में समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को 30 फीट पहुंच मार्ग खसरा संख्या 124 से प्राप्त हो रहा है जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण से अनुमोदित नहीं है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया - 1. आवेदित भूमि को न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी आवेदित भूमि तक 40 फीट का न्यूनतम पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाये और मार्ग उपलब्ध करवाये जाने पर प्रकरण आगामी बैठक में रखें। 2. फार्म हाउस संपरिवर्तन हेतु प्राप्त प्रकरणों में समिति द्वारा निदेशक आयोजना को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2015 तथा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के बिन्दु संख्या 6.00 (i) के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम पहुंच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
2.	02	राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा संख्या 123 में से रकबा 17 बिरवा 11 बिस्वानी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :-श्रीमति प्रिया यादव। (जोन पूर्व)	प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पत्रावली के पैरा संख्या 38/एन पर आयुक्त महोदय द्वारा की गई टिप्पणी के क्रम में जोन उपायुक्त से स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
3.	03	राजस्व ग्राम विनायकिया के खसरा संख्या 90, 90/1 वगैरह के रकबा 09.02 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :-श्री पूनमराम एवं श्री नरेन्द्र सिंह। (जोन पूर्व)	प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि एयरपोर्ट सोमा से 1000 मीटर की परिधि में स्थित है। अतः समिति द्वारा प्रकरण में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 02.01.2017 में वर्णित "एयरपोर्ट की 1000 मीटर की परिधि में निर्माण स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना जारी नहीं की जावे।" के अनुसार राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने तथा उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	04	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 749/6 वगैरह के रकबा 04.06 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :-श्री अचलाराम। (जोन पूर्व)	प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया - 1. आवेदित भूमि का भू उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अनुज्ञेय है। 2. जोन द्वारा प्रेषित प्रपत्र 7 अनुसार आवेदित भूमि में पहुंच मार्ग 40 फीट है, परंतु प्रश्नगत भूमि के उत्तर पूर्व में अनुमोदित योजना खसरा संख्या 749/2 से 749/5 के अनुमोदित ले-आउट है, जिसमें से प्रश्नगत भूमि का 60 फीट का रास्ता मिलता है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौक पर रिक्त है। 3. प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण फॉर्म हाउस 70.24 प्रतिशत, सुविधा क्षेत्र 16.22 प्रतिशत व सड़क 13.54 प्रतिशत प्राप्त होता है।

			<p>समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 2. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5.	05	<p>राजस्व ग्राम बासनी बेंदा के खसरा संख्या 35/1, 35/6 वगैरह के रकबा 19.04 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री मोतीलाल एवं श्री राजेश। (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित क्षेत्र का भू-उपयोग आस-पास के अनुमोदित ले-आउट प्लान को एग्जाई कर मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क का परीक्षण कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।</p>
6.	06	<p>राजस्व ग्राम बिरामी के खसरा संख्या 116 मीन/1 के रकबा 36.08 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री गोविन्द राम पुत्र श्री मानाराम (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग हेतु 40 फीट सड़क बाबत खसरा संख्या 167/5 रकबा 14.3.12 बीघा के खातेदार द्वारा 40 फीट रास्ते के लिए सहमति प्रदान की गई है। 2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार 4 हैक्टेयर से अधिक व 20 हैक्टेयर से कम के क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 24 मीटर पहुंच मार्ग आवश्यक है जबकि प्रकरण में आवेदित भूमि को 12 मीटर पहुंच मार्ग ही उपलब्ध हो रहा है। <p>अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को आवश्यक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को लिखा जाए कि वो 24 मीटर मार्ग उपलब्ध करवाये और मार्ग उपलब्ध करवाये जाने पर प्रकरण आगामी बैठक में रखे। 2. फार्म हाउस संपरिवर्तन हेतु प्राप्त प्रकरणों में समिति द्वारा निदेशक आयोजना को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2015 तथा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के बिन्दु संख्या 6.00 (प) के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम पहुंच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
	07	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 822/1 के रकबा 03-00-13 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति मिसरी देवी। (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग ले आउट में दर्शाये अनुसार व जोन की चेकलिस्ट अनुसार 40 फीट उपलब्ध हो रहा है। 2. प्रस्तुत ले आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण आवासीय 59.66 प्रतिशत, पार्क 4.26 प्रतिशत व सड़क 36.08 प्रतिशत प्रस्तावित है, जिसमे बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 10.04.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार 5 प्रतिशत पार्क/सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को बिन्दु संख्या 01 के अनुसार पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध है। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भूमि के क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावे। 3. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 250 पर उल्लेखित बिन्दु संख्या (xvii) के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छोटी योजनाओं हेतु आधारित संरचना सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज) के दृष्टिगत सुविधा क्षेत्र व पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु योजना मानचित्र में 5 प्रतिशत सुविधा/पार्क रखा जावे। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8.	08	<p>राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 36 के रकबा 13 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति सुनिता (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार खसरा संख्या-36/1 के अनुमोदित ले-आउट से 60 फीट उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अनुज्ञेय उपयोग है। 3. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि से एलटी लाईन गुजर रही है। जिस पर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी क्षमता अनुसार छोड़ी जानी है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित निर्णय लिया गया कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत प्रकरण में बिन्दु संख्या 01 में वर्णित ले-आउट प्लान की 90 ए की कार्यवाही अर्थात् उक्त पहुँच मार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित है अथवा नहीं? की पूर्ति जोन द्वारा की जानी है। 2. प्रकरण में आवेदक के हस्ताक्षर में भिन्नता पायी गयी, जिसकी जांच जोन उपायुक्त स्तर से की जावे। 3. उक्त बिन्दु संख्या 03 के अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही एलटी लाईन को हटाया जाकर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट ली जानी होगी। 4. उपरोक्तानुसार पूर्ति पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
9.	09	<p>राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 444/12, 443 मीन के रकबा 04.05 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति तुलछी देवी पत्नि श्री हरकाराम। (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की विधिवत् तरमीम नहीं है। अतः समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात् जोन स्तर से उक्तानुसार जांच उपरान्त प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
10.	10	<p>राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 231, 231/1 के रकबा 04.19 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री गोमाराम एवं श्री कालूराम (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित भूमि तक आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत पहुँच मार्ग न्यूनतम 40 फीट आवश्यक है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के संबन्ध में आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>

(Handwritten signature)

11.	11	<p>राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा संख्या 62/2 मीन के रकबा 07.09 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति आशा मोदी। (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 2. आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है तथा आवेदित भूमि को 30 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3-ए के अंतर्गत 15 मीटर तक की उंचाई के भवनों हेतु पहुंच मार्ग हेतु न्यूनतम 30 फीट आवश्यक है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन (मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत) आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को बिन्दु संख्या 01 के अनुसार पहुंच मार्ग 30 फीट उपलब्ध है। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट IV जयपुर, दिनांक 30.05.2016 एवं 22.11.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु नि:शुल्क जोविप्रा, जोधपुर के हक में समर्पित की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गठित प्रोजेक्ट एप्लूक समिति में प्रोजेक्ट अनुमोदन कराया जाना होगा। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
12.	12	<p>राजस्व ग्राम पालासनी के खसरा संख्या 277/2 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में आंशिक संशोधन बाबत्।</p> <p>आवेदक :- श्री हिराराम पुत्र श्री बस्तीराम। (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जयपुर-जोधपुर हाईवे से पालासनी जाने वाली ग्रामीण सड़क से उपलब्ध हो रहा है, उक्त ग्रामीण सड़क को 100 फीट रखा जाना है। 2. प्रकरण को पूर्व में बी0पी.सी0(एल0पी) के कार्यवाही विवरण दिनांक 19.07.2017 द्वारा ले-आउट अनुमोदित किया गया था, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 24.10.2017 को राजस्व रास्ते की चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड में सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा 100 फीट होना बताया गया है। उक्त के कम में पत्रावली के पैरा-28 पर जोन पटवारी द्वारा उक्त की पुष्टि की गयी है। 3. प्रकरण में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल पूर्व में अनुमोदित ले-आउट से भिन्न होने से निदेशक आयोजना द्वारा पुनः समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे जाने बाबत निर्देशित किया गया। <p>समिति द्वारा प्रकरण में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर संशोधन अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।</p>
13.	13	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 808/948 के रकबा 07.05 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री धनाराम (जोन पूर्व)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन की चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 827 में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त खसरे का ले आउट प्लान एसटीपी कार्यालय से अनुमोदित है। 2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मास्टर प्लान का प्रस्तावित 200 फीट बाईपास गुजरता है। जिसके सहारे सहारे मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जानी प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार परिधि

			<p>नियन्त्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अनुज्ञेय उपयोग है।</p> <p>4. पत्रावली में संलग्न प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि पर चार दिवारी व एक कमरा निर्मित है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि को बिन्दु संख्या 01 के अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध है। 2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 200 फीट चौड़ी सड़क गुजरती है, उक्त सड़क मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क है। अतः वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मात्र राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही किया जाना है एवं पूर्व में भी इस 200 फीट प्रस्तावित सड़क पर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान नहीं रखा गया है। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
14.	राजस्व ग्राम भैंसेर कुतड़ी के खसरा संख्या 114/3, 116/46 वगैरह के रकबा 28 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	आवेदक :-श्री मोहनराम पुत्र श्री लुम्बाराम। (जोन उत्तर)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की विधिवत् तरमीम नहीं है और आवेदित भूमि के मध्य सरकारी भूमि स्थित है। समिति द्वारा आवेदित भूमि के साथ सरकारी भूमि के संबंध में जोन उपायुक्त कोस्थिति स्पष्ट करवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>साथ ही उपरोक्तानुसार तरमीम नहीं होने के कारण प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
15.	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 175/3, 180/3 के रकबा 05.13 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	आवेदक :-श्री सवाईराम पुत्र श्री हड़ताराम (जोन उत्तर)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में आवेदित भूमि के मध्य सरकारी कटाण रास्ता दर्शाया गया जो कि मौके पर उक्त कटाण रास्ता अन्यत्र स्थित है। अतः समिति द्वारा आवेदित भूमि में से कटाण रास्ता/सरकारी रास्ता होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।</p>
16.	राजस्व ग्राम देसूरिया विशनोईयान के खसरा संख्या 74/10 के रकबा 03.15.07 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	आवेदक :-श्री राजहर्षवर्द्धन सिंह (जोन उत्तर)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के दक्षिण में खसरा संख्या 77/1 जोविप्रा से पूर्व में अनुमोदित योजना की 60 फीट सड़क से पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। 2. उपरोक्त मार्ग पर क्षेत्रफल के आधार पर नियमानुसार मार्गाधिकार (24 मीटर) प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्व में राजस्व ग्राम देसूरिया विशनोईयान के खसरा संख्या 74/16 के रकबा 04.04 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान (एकल भूखण्ड) अनुशंषा सहित राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया गया। जो राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है। 3. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 132 केवी की एच.टी.लाईन गुजर रही है जिसके नीचे राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 27 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

		<p>इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण के समीप खसरा संख्या 74/16 के ले-आउट प्लान अनुमोदन प्रकरण में राज्य सरकार से शिथिलता/मार्गदर्शन चाहा गया, जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.11.2017 द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत मार्ग पर भविष्य में सभी स्वीकृतियां 80 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग रखते हुए की जावेगी। साथ ही उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के समीप राजस्व रेकॉर्ड में कोई नाला नहीं गुजर रहा है।</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नियमानुसार 5 प्रतिशत क्षेत्रफल सुविधा क्षेत्र का रखा जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे। 2. आवेदित भूमि पर प्रतिबंधित औद्योगिक गतिविधियां यथा हैजार्डस इत्यादि नहीं की जा सकेंगी, जिस बाबत प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जाना होगा। 3. उक्त भूखण्ड पर रिको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 6. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 132 केवी की एच.टी.लाईन गुजर रही है जिसके नीचे राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 27 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू छोड़ी जावे।
17.	<p>राजस्व ग्राम सालवा कला के खसरा संख्या 20/3 के रकबा 02 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री प्रकाश पुत्र श्री खेताराम। (जोन उत्तर)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन की चैकलिस्ट अनुसार मौके पर बड़ा हॉल व रहवासीय मकान निर्मित पाया गया। 2. प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरा 20/3 ग्राम सालवा कला से दईकड़ा जाने वाली 30 फीट ग्रामीण सड़क पर स्थित है। 3. आवेदित भूमि के सम्पर्क सड़क के मार्गाधिकार निर्धारण के सम्बन्ध में समिति स्तर से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्तानुसार सम्पर्कनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।

18.	<p>राजस्व ग्राम सेवा गांव के खसरा संख्या 139/16 के रकबा 11.14 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री बंशीलाल पुत्र श्री मानाराम (जोन उत्तर)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि को राजस्व रेकॉर्ड अनुसार रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः समिति द्वारा प्रकरण में आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग के अभाव में निरस्त करने का निर्णय लिया गया।</p>
19.	<p>राजस्व ग्राम विनायकपुरा के खसरा संख्या 642/12के रकबा 12.10 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री जगदीश विश्णोई (जोन उत्तर)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर नागौर हाईवे पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार 60 मीटर (200 फीट) आरक्षित है एवं मास्टर प्लान 2023 अनुसार राजमार्ग एवं बाईपास के सहारे अनुज्ञेय विकास करते समय इन मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु छोड़ने का उल्लेख है। अतः प्लान्टेशन के संबंध में समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। तथा सड़क मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की सीमा से दूरी पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपेक्षित है। 2. मास्टर प्लान 2031 प्रारूप के बिन्दु संख्या 6.4 में निम्नानुसार उल्लेख है:- जोधपुर रीजन में विगत वर्षों में कई उच्च शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सालयों की स्थापना हुई है एवं भविष्य में और कई संस्थानों के स्थापना होने एवं उनसे सम्बन्धित अन्य शिक्षण संस्थान, इन्टरमिडियेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेन्टर प्रोफेशनल कॉलेज, आईटी से सम्बन्धित संस्थान, तकनीकी संस्थान, मेडिकल संस्थान, मेडिकल से सम्बन्धित अन्य चिकित्सालय, नर्सिंग होम, इत्यादि को भविष्य में इस क्षेत्र में विकसित किया जा सकेगा। उक्त क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जावेगा तथा इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों हेतु सुविधा क्षेत्र, स्टॉफ हेतु आवास सुविधा, छात्रावास, रेस्टोरेन्ट, आमोद-प्रमोद इत्यादि स्थलों का विकास किया जा सकेगा। उक्त क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान वर्तमान में नहीं है एवं नोलेज सिटी में शिक्षण संस्थान विद्यालय आदि अनुज्ञेय है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिन्दु संख्या 01 के अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट मार्ग पर स्थित है। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी तथा उक्त पहुंच मार्ग के पश्चात् 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी छोड़ी जानी होगी एवं वृक्षारोपण पट्टी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। इसमें गहन वृक्षारोपण किया जावेगा। उक्तानुसार सम्पर्णनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। 2. बिन्दु संख्या 02 के अनुसार आवेदित भूमि पर शिक्षण संस्थान (विद्यालय) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया गया। 3. नियमानुसार 5 प्रतिशत क्षेत्रफल सुविधा क्षेत्र का रखा जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।

20.	<p>राजस्व ग्राम मणाई के खसरा संख्या 215, 233/1/2, 232 मीन, 233/1/1 के रकबा 35 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री रामजीवन, श्री विष्णुप्रकाश पुत्र श्री रणछोड़दास (जोन उत्तर)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की विधिवत् तरमीन नहीं है और मौके पर आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है।</p> <p>अतः समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरण में निम्न निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर स्थित विद्युत लाईनों के संबंध में मौका रिपोर्ट लिये जाने बाबत् उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 2. फार्म हाउस संपरिवर्तन हेतु प्राप्त प्रकरणों में समिति द्वारा निदेशक आयोजना को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.08.2015 तथा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के बिन्दु संख्या 6.00 (i) के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम पहुंच मार्ग के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिये जाने बाबत् निर्देशित किया गया। 3. आवेदित भूमि की विधिवत् तरमीन नहीं होने एवं न्यूनतम पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
21.	<p>राजस्व ग्राम मण्डौर के खसरा संख्या 1798, 1800/1/1 के पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति सोनू पत्नि श्री संतोष(गार्ड पत्रावली, पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में संशोधन) (जोन उत्तर)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्राप्त छूट के तहत अनुमोदित है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2017 के अनुसार अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण/नियमन पर रोक लगायी गयी है।</p> <p>समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि "उपरोक्त याचिका के अंतिम निर्णय के उपरान्त ही ऐसे समस्त प्रकरणों में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।"</p>
22.	<p>राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 75 के रकबा 4.17 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री सीताराम, श्री जयसिंह वगैरह। (जोन उत्तर)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा कुल रकबा 83.01 बीघा में से 4 बीघा 17 बिस्वा 0 बिस्वांसी का आवेदन किया गया। 2. जोन से प्राप्त चेकलिस्ट अनुसार तहसीलदार/पटवारी जोधपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग पास ही स्थित बसी हुई कॉलोनी में से 30 फीट है एवं तहसीलदार जोधपुर के पत्रांक रीडर/17/1117 दिनांक 02.08.17 के अनुसार खसरा संख्या 75/1 रकबा 2.00 बीघा बेचान है तथा उक्त खसरे में से मौके पर भूमि रास्ता एवं सीवरेज लाईन के उपयोग में आ रही है। उक्त खसरे में रास्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। दिनांक 19.09.17 को प्रेषित चेकलिस्ट के क्रम संख्या 10 में जोन तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार पास ही स्थित बसी हुई कॉलोनी में से 30 फीट का पहुंच मार्ग है। इस संबंध में पुनः जोन तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट ली गयी, प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग 40 फीट पाया गया जो कि इसी खसरे में स्थित है एवं पास ही स्थित बसी हुई आवासीय कॉलोनी में से आवेदित स्थल तक 30 फीट मार्ग उपलब्ध हो रहा है। मौके पर एलटी लाईन है जिसे अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। 3. प्राप्त भू उपयोग रिपोर्ट पत्रावली के बिन्दु संख्या 4 व 29 अनुसार भू उपयोग आवासीय में आरक्षित है व योजना मानचित्र के पश्चिम दिशा में अन्य सड़क की श्रेणी की सड़क पर स्थित है। मास्टर प्लान की तालिका 16 अनुसार आवासीय मार्ग का मार्गाधिकार 40 फीट से 60 फीट निर्धारित है। अतः उक्त सड़क के मार्गाधिकार के निर्धारण के संबंध में समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख 60 फीट चौड़ी सड़क रखी जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में



		<p>निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्तानुसार सम्पर्णनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भूमि के क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावे। सिविल रिट पीटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 250 पर उल्लेखित बिन्दु संख्या (xvii) के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छोटी योजनाओं हेतु आधारित संरचना सुविधाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज) के दृष्टिगत सुविधा क्षेत्र व पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु योजना मानचित्र में 5 प्रतिशत सुविधा/पार्क रखा जावे। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
23.	<p>राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 571/8, 571/9 के रकबा 10 बिस्वा 12.75 बिस्वानी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति मीनाशी शर्मा पत्नि श्री पुखराज, श्री पुखराज पुत्र श्री मोतीलाल, श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री पुखराज शर्मा। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> जोन चैक लिस्ट अनुसार मौके पर निर्माण कार्य चालू है एवं सड़क व भूखण्ड के मध्य एलटी लाईन गुजरती है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान, 2023 की प्रमुख मार्ग (मेजर मार्ग) पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 80 से 120 फीट दर्शाया गया है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क पर 100 फीट दर्शाते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख 100 फीट चौड़ी सड़क रखी जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्तानुसार सम्पर्णनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। प्रकरण में आवेदित भूमि 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविधि/3/2010 पार्ट IV जयपुर, दिनांक 30.05.2016 एवं 22.11.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु निःशुल्क जोविप्रा, जोधपुर के हक में समर्पित की जावे। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। सड़क व भूखण्ड के मध्य स्थित एलटी लाईन के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ा जावे।



24.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 166, 166/1 के रकबा 07.04 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री विजय भावनानी। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पुन. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट लेकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p>
25.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 201/6 के रकबा 01.08 बीघा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति सुशीला चौहान। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मास्टर प्लान 2023 अनुसार उन सभी प्रमुख उप प्रस्तावित बाई-पास के जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट से कम नहीं है, उनसे लगती हुई भूमियों पर थोक व्यापार एवं वाणिज्यिक व्यवसाय हेतु व्यावसायिक केन्द्र तथा खुदरा व्यावसाय हेतु सुविधाजनक दुकानों के लिए माहयोजना स्थल प्रस्तावित किये गये हैं तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इन सड़कों के सहारे 100 फीट की गहराई तक अथवा एकल सम्पत्ति की गहराई तक जो भी कम हो इस तरह के भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे। 2. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) 2013 के बिन्दु संख्या 19.7.7 अनुसार मास्टर विकास योजना में जिन सड़कों के सहारे भू-उपयोग व्यावसायिक दर्शित है उन भूखण्डों की गहराई सड़क की चौड़ाई की अधिकतम डेढ़ गुणा देय होगी। यदि भूखण्ड की गहराई सड़क की चौड़ाई से डेढ़ गुणा से अधिक है तो राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जावेगा। 3. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) 2013 के बिन्दु संख्या 19.7.16 के अनुसार मास्टर प्लान व बाईलाज के प्रावधानों/मानदण्डों में कोई भी भिन्नता हुई तो भवन विनियम के प्रावधान सर्वोपरि होंगे। 4. दिनांक 18.10.17 को नगरीय विकास विभाग द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की अधिसूचना जारी की गई जिसके बिन्दु संख्या 21.4 अनुसार नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसी प्रावधान में भिन्नता/विरोधाभाष की स्थिति में स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन / जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होंगे। 5. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है "उक्त खसरे की भूमि के एकल पट्टे हेतु आवेदन में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ की मांग की गई है। जबकि वर्तमान में बाई लॉज में दर्शाये अनुसार मुख्य पाल रोड 200 फुट होने के कारण एकल भूखण्ड की लम्बाई 300 फुट यानि रोड की चौड़ाई का डेढ़ गुणा गहराई तक ही व्यावसायिक भू उपयोग प्रयोजनार्थ ले आउट पारित कर शेष बची भूमि को छोड़ दिया जाये।" 6. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. समिति द्वारा उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 में भवन विनियम, 2013 में उल्लेखित अनुसार सड़क की चौड़ाई का डेढ़ गुणा तक व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन का निर्णय लिया गया। 2. नियमानुसार 5 प्रतिशत क्षेत्रफल सुविधा क्षेत्र का रखा जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।

26.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 165/27, 165/28, 165/29, 165/30 के रकबा 07.05.09 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति गोदावरी देवी, श्रीमति पतासी देवी व श्री किशोर राव। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की विधिवत् तरमीम नहीं है।</p> <p>समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में प्रार्थी को सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा विधिवत् तरमीम करवाये जाने हेतु प्रार्थी को पत्र जारी किया जावे। 2. प्रस्तुत मानचित्र में पहुच मार्ग 40 फीट की सडक को ले-आउट प्लान के अंतिम छोर तक किया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। 3. उपरोक्त पूर्ति उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
27.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 201/7 के रकबा 1.08 बीघा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति कौशल्या चौहान। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मास्टर प्लान 2023 अनुसार उन सभी प्रमुख उप प्रमुख एवं प्रस्तावित बाई-पास के जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट से कम नहीं है, उनसे लगती हुई भूमियों पर थोक व्यापार एवं वाणिज्यिक व्यवसाय हेतु व्यावसायिक केन्द्र तथा खुदरा व्यावसाय हेतु सुविधाजनक दुकानों के लिए माहयोजना स्थल प्रस्तावित किये गये हैं तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इन सडकों के सहारे 100 फीट की गहराई तक अथवा एकल सम्पत्ति की गहराई तक जो भी कम हो इस तरह के भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे। 2. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) 2013 के बिन्दु संख्या 19.7.7 अनुसार मास्टर विकास योजना में जिन सडकों के सहारे भू-उपयोग व्यावसायिक दर्शित है उन भूखण्डों की गहराई सडक की चौड़ाई की अधिकतम डेढ गुणा देय होगी। यदि भूखण्ड की गहराई सडक की चौड़ाई से डेढ गुणा से अधिक है तो राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जावेगा। 3. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) 2013 के बिन्दु संख्या 19.7.16 के अनुसार मास्टर प्लान व बाईलाज के प्रावधानों/मानदण्डों में कोई भी भिन्नता हुई तो भवन विनियम के प्रावधान सर्वोपरि होंगे। 4. दिनांक 18.10.17 को नगरीय विकास विभाग द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की अधिसूचना जारी की गई जिसके बिन्दु संख्या 21.4 अनुसार नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/ डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसी प्रावधान में भिन्नता/विरोधाभास की स्थिति में स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन / जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होंगे। 5. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है "उक्त खसरे की भूमि के एकल पट्टे हेतु आवेदन में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ की मांग की गई है। जबकि वर्तमान में बाई लॉज में दर्शाये अनुसार मुख्य पाल रोड 200 फुट होने के कारण एकल भूखण्ड की लम्बाई 300 फुट यानि रोड की चौड़ाई का डेढ गुणा गहराई तक ही व्यावसायिक भू उपयोग प्रयोजनार्थ ले आउट पारित कर शेष बची भूमि को छोड दिया जाये।" 6. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. समिति द्वारा उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 में भवन विनियम, 2013 में उल्लेखित अनुसार सडक की चौड़ाई का डेढ गुणा तक व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन का निर्णय लिया गया। 2. नियमानुसार 5 प्रतिशत क्षेत्रफल सुविधा क्षेत्र का रखा जावे अथवा 5 प्रतिशत

			<p>भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे।</p> <p>3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p>
28.	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/12, 77/13 के रकबा 07.13.10 बीघा भूमि का कृषि आधारित एग्री वेयर हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :-आरजीपीजी रियल एस्टेट, जोधपुर प्रतिनिधि जरिये श्री घनश्याम अग्रवाल। (जोन दक्षिण)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में कृषि आधारित एकल भूखण्डों हेतु प्राधिकरण स्तर पर विनियम निर्धारित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपायुक्त द्वारा प्रेषित जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 77, रकबा 74.13 बीघा का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंचान होकर मौके पर प्लॉटिंग है।</p> <p>समिति द्वारा उपरोक्तानुसार विनियम निर्धारित होने तक स्थगित रखा जायें व विनियम निर्धारित होने के पश्चात् प्रकरण तदनुसार आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
29.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 45/11 के रकबा 12 बिस्वा भूमि का होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :-श्री रामकरण बेनीवाल पुत्र श्री जगमालराम बेनीवाल। (जोन दक्षिण)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा 90-क आवेदन आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया, जबकि आयोजना शाखा में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन चाहा गया।</p> <p>समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रार्थी से प्रयोजन स्पष्ट करवाने हेतु उपायुक्त स्तर से प्रार्थी को पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
30.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 253/4 के रकबा 04.04 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :-मैसर्स रामदेव इन्फ्रा लैण्ड डवलपर्स जरिये श्री हेमन्त रोचवानी। (जोन दक्षिण)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि मौके पर आवेदित भूमि में से एल.टी.लाईन गुजर रही है।</p> <p>समिति द्वारा उक्त विद्युत लाईन को हटाये जाने के उपरान्त पुनः नवीन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने तथा संबंधित उपायुक्त को पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता एवं विद्युत लाईन हटाये जाने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।</p>	
31.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 154/3 के रकबा 03 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :-श्रीमति संगीता उर्फ जेठी पत्नि श्री खेताराम। (जोन दक्षिण)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन की चेकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 161/1 के स्वीकृत ले आउट प्लान में से 25 फीट कटानी रास्ता उपलब्ध हो रहा है। जिसमें उक्त आवेदित भूमि के उत्तर में 60 फीट रास्ता दर्शाया गया है। 2. आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख 60 फीट चौड़ी सड़क रखी जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्तानुसार सम्पर्णनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट IV जयपुर, दिनांक 30.05.2016 एवं 22.11.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु निःशुल्क जोविप्रा, जोधपुर के हक में समर्पित की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 	

		<p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
32.	<p>राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 157/157/3, 157/4 के रकबा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक-मै.रणजीत ब्रदर्स वगैरह(जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि पर पहुँच हेतु 60 फीट का मार्ग प्रस्तावित मार्ग में दर्शाया गया है। प्रार्थी के स्वयं में से 30 फीट एवं पड़ोसी खसरा भूमि में से 30 फीट रास्ता छोड़कर 60 फीट रास्ता प्रस्तावित किया गया है। मौके पर भूमि रिक्त है। रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है व समर्पण पत्र प्रस्तुत नहीं है। 2. ग्राम शोभावतो की ढाणी के खसरा संख्या 775/63 वगैरह में स्थित आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ हेतु मुख्यमंत्री जन आवास 2015 के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजीएच आवासों (स्प्लीट लोकेशन) हेतु आवेदन किया है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख 60 फीट चौड़ी सड़क रखी जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्तानुसार समर्पणनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट IV जयपुर, दिनांक 30.05.2016 एवं 22.11.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु निःशुल्क जोविप्रा, जोधपुर के हक में समर्पित की जावे। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
33.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 317/1, 316/56, 316/47 के रकबा 12.61 बीघा भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-सनसिटी स्पोर्ट्स एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रामचन्द्र तोलानी। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण बीपीसी (एलपी) की 8/2017 वीं बैठक दिनांक 19.07.17 को रखा जाकर समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ एकल भूखण्ड ले आउट रिसोर्ट प्रयोजनार्थ अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। • प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। • आवेदित भूमि के उत्तर व दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट व 80 फीट चौड़ी सड़क है तथा पश्चिम दिशा में 40 फीट सड़क है अतः सड़क में आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जावे। • मास्टर प्लान की 80 फीट सड़क के दक्षिण भाग में स्थित भूमि का अनुमोदन नहीं किया जावे क्योंकि इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं हुआ है। • जोन द्वारा प्रेषित खसरा सुपरइम्पोज प्लान के अनुसार जो भूमि प्रमाणित खसरा सुपरइम्पोज से बाहर है एवं जिस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है।


		<p>उस भूमि को अनुमोदित नहीं किया जावे एवं खसरा सुपरईम्पोज के अनुसार ही ले आउट प्लान अनुमोदित किया जावे।</p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार के परिपत्र एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(77)नवि/3/2010 पार्ट-1। जयपुर, दिनांक - 30 मई 2016 एवं 22.11.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु निःशुल्क जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में समर्पित करवाई जावे। मौके पर सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाया जाने के पश्चात् पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे। प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी होने के पश्चात् आवेदित भूमि के भवन मानचित्र प्राधिकरण से अनुमोदन करवाने के पश्चात् ही निर्माण कार्य करवाना होगा। अनुमोदित किये जा रहे ले आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमांडेशन किये जाने उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिया जाने की कार्यवाही की जावे। ताकि ले आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। उक्त ले आउट एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया जा रहा है, अतः भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। <p>2. उपरोक्त निर्णय में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने व सड़क आदि समर्पण उपरान्त 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट-1। जयपुर, दिनांक - 30 मई 2016 एवं 22.11.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु निःशुल्क जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में समर्पित करवाई जाने के संबंध में समिति के समक्ष निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि में सड़क हेतु भूमि समर्पण उपरान्त आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण नियमानुसार राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया। भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट-1। जयपुर, दिनांक - 30 मई 2016 एवं 22.11.2016 के अनुसार 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि लिये जाने की कार्यवाही की जावे।</p>	
34.	<p>राजस्व ग्राम सतलाना के खसरा संख्या 629/6 के रकबा 09 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्री सुरेश गोयल। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि स्टेट हाईवे संख्या 68 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है तथा सड़क के दोनों ओर 100-100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखा जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में प्रस्तुत मानचित्र का क्षेत्र विश्लेषण कर मानचित्र पर अंकित किया गया, जो कि पत्रालयी के पृष्ठ संख्या 23 पर संलग्न है। जिसके अनुसार फार्म हाउस का क्षेत्रफल 63.29 प्रतिशत, सुविधा क्षेत्र 8.57 प्रतिशत व सड़क 28.14 प्रतिशत प्राप्त होती है। आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि 200 फीट मार्ग पर स्थित है। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फीट भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी तथा उक्त पहुंच मार्ग के पश्चात् 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी छोड़ी जानी होगी एवं वृक्षारोपण पट्टी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। इसमें गहन वृक्षारोपण किया जावेगा। प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद 	

		<p>नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
35.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 के रकबा 04 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमति भंवरी देवी पत्नी श्री पुरखाराम। (जोन दक्षिण)</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <p>1. जोन चैकलिस्ट अनुसार उक्त भूमि के सामने खसरा संख्या 339 से 345 मय बट्टा नं. में आशुपूर्णा सिटी स्थित हैं जिसमें सड़क 19.6 फीट रोड दर्शायी है।</p> <p>2. पूर्व में इसी खसरे के एक भाग खसरा संख्या 300 रकबा 25.13 बीघा में से 12 बीघा भूमि का 90-क की कारवाई श्री पुरखाराम पुत्र श्री खीयाराम के नाम की जाकर पट्टे जारी किए गए हैं। उक्त कॉलोनी में कटाण मार्ग को 40 फीट रोड मानकर ले आउट वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान पत्रावली भवरी देवी पत्नी पुरखाराम की हैं जो इनकी पत्नी हैं।</p> <p>3. खसरा संख्या 300/1 रकबा 09.04 बीघा की पत्रावली में गिरधारीराम पुत्र पूनाराम मेघवाल के नाम 90-बी की कार्यवाही की जाकर पट्टे जारी किए गए, जिसमें 30 फीट रोड मानकर ले आउट सहायक नगर नियोजक, जो.वि. प्रा. द्वारा अनुमोदित है।</p> <p>4. प्रकरण में सड़क के मार्गाधिकार का निर्धारण समिति के समक्ष किया जाना प्रस्तावित है। तदानुसार मानचित्र में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>5. पत्रावली में पृष्ठ संख्या 23 पर संलग्न मानचित्र का प्रारूपकार द्वारा क्षेत्र विश्लेषण किया गया है। जिसके अनुसार आवासीय 59.71 प्रतिशत, सुविधा 4.97 प्रतिशत व सड़क 35.32 प्रतिशत प्राप्त होता है, जिसके अनुसार बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 10.04.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार 5 प्रतिशत पार्क/सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख 60 फीट चौड़ी सड़क रखी जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 30 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्तानुसार सम्पर्णनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे।</p> <p>2. राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भूमि के क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावे।</p> <p>3. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 250 पर उल्लेखित बिन्दु संख्या (xvii) के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छोटी योजनाओं हेतु आधारिक संरचना सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज) के दृष्टिगत सुविधा क्षेत्र व पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु योजना मानचित्र में 5 प्रतिशत सुविधा/पार्क रखा जावे।</p> <p>4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर</p>

			<p>से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>
36.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 8/2, 8/2/1, 8/3 के रकबा 07 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	आवेदक :-मैसर्स अनमोल प्राईम डवलपर्स जरिये श्री घनश्याम धूत। (जोन दक्षिण)	<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में खसरा संख्या 8/2/1 की तरमीम व खसरा ट्रेस की जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</p>
37.	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 243/2 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत।		<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रकरण पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्राप्त छूट के तहत अनुमोदित है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2017 के अनुसार अवैध कॉलोनियों के नियमितकरण/नियमन पर रोक लगायी गयी है।</p> <p>समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि "उपरोक्त याचिका के अंतिम निर्णय के उपरान्त ही ऐसे समस्त प्रकरणों में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।"</p>
38.	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 व 08.08.2017 पर प्राप्त विधिक राय के संबंध में।		<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत करवाया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य दिनांक 12.01.2017 व 08.08.2017 को निर्णय पारित किया गया। उक्त जनहित याचिका में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में आयोजना शाखा द्वारा उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित ग्राम डिगाड़ी के खसरा संख्या 120 मय बट्टा नं० की पत्रावली में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 27.11.2017 को विधिक राय ली गई। जिसके क्रम में निम्नानुसार विधिक राय प्राप्त हुई - "कृपया डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 08.08.2017 का अवलोकन करावे। उक्त आदेश के पृष्ठ संख्या 28 से 30 में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों में से निर्देश संख्या 01 प्रश्नगत विषय पर लागू होता है। उक्त निर्देश एवं पूर्व में जारी आदेश दिनांक 12.01.2017 में ऐसे ले-आउट प्लान को अनुमोदित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, जिनमें अनाधिकृत निर्माण का नियमितकरण अन्तर्वर्तित नहीं हो तथा जो प्रभावी मास्टर डवलपमेन्ट प्लान का अतिक्रमण न करता हो।" <p>समिति द्वारा उक्त विधिक राय को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए, तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>
39.	विवेक विहार योजना के वाणिज्यिक ले-आउट प्लान के संबंध में।		<p>प्रकरण भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्व में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) दिनांक 11.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 02 पर</p>

		विवेक विहार वाणिज्यिक योजना ब्लॉक - बी/100 का अनुमोदन किया जाकर मूल ले-आउट प्लान पर ही अंकित किया गया। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्व में विवेक विहार योजना के वाणिज्यिक भूखण्डों की लॉटरी की जा चुकी है तथा उक्त भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 11.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 02 पर विवेक विहार वाणिज्यिक योजना ब्लॉक - बी/100 के गये अनुमोदन व पूर्व में जिस ले-आउट प्लान के तहत उक्त लॉटरी सम्पादित की गई में भिन्नता है। अतः समिति द्वारा पूर्व में जिस मानचित्र/ले-आउट प्लान (अहस्ताक्षरित) के तहत वाणिज्यिक भूखण्डों की लॉटरी सम्पादित की गई थी, उक्त मानचित्र प्राधिकरण का commitment (प्रतिबद्धता) होने के कारण बैठक दिनांक 11.07.2017 में अनुमोदित मानचित्र को निरस्त करते हुए संशोधित ले-आउट प्लान को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
40.	खारड़ा रणधीर में प्रस्तावित प्राधिकरण की नवीन अफॉडेबल आवासीय योजना के संबंध में।	समिति द्वारा उपायुक्त को आवेदित भूमि के भू-उपयोग व अन्य तकनीकी जांच हेतु प्रकरण आयोजना शाखा में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।





अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


18/12/2017
(पी.आर. बेनिवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


क्रमांक :- 3226 - 3235

दिनांक:- 18/12/17

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ। 
18/12/2017
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ। 
18/12/2017
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ। 
18/12/2017
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ। 
18/12/2017
6. विशेषाधिकारी अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि उसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।




18/12/17

18/12/17

18/12/17



18/12/2017
निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)


18/12/17

18/12/17

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 10/2017 वीं बैठक दिनांक 15.12.2017 को प्रातः 09:30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री दुर्गेश बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री राकेश कुमार पूनिया उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 8. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 9. श्री पी.आर. बेनिवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 10. श्री राकेश शर्मा विशेषाधिकारी भूमि, जोविप्रा, जोधपुर। | |


निदेशक (आयोजना), 18/12/2017
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)